

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 30th Jan, 1995

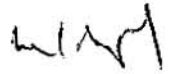
NOTIFICATION

S.O. (E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendation of the National Committee, hereby approves the institution specified in column 1 of the Table below and specifies the eligible projects and schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (2) of the Table below and specifies in the column (3) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC.

TABLE

Name of the Institution:	Projects or Schemes	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)
Sri Satya Sai Medical Trust, Prasanthi Nilayam District Anantapur, Andhra Pradesh. PIN - 515 134.	(a) Maintenance and running of cardiology Department; (b) Repairs/renewals in the hospital as a whole; (c) Phase 2nd & 3rd of ENT Department and its maintenance.	Rs.1527 lakhs plus the amount of donations received in respect of projects and schemes already approved under Notification S.O.521(E) dated 14th July, 1994 and S.O.614(E) dated 14th July, 1994 and 23rd August, 1994 to the extent the amount collected by way of donations could not be utilised for the projects or schemes mentioned in the aforesaid notifications.

This notification shall remain in force for a period of three assessment years, namely, 1995-96, 1996-97 and 1997-98.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9695
F.No. NC-132/94

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड 1111,

तारीख 30-1-1995 में प्रकाशित।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

नई दिल्ली, तारीख 30-1-1995

अधिसूचना

कानून 131 : केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961-1961 का 43।
की धारा 35 कम के स्फुटीकरण के खण्ड 131 के साथ पं. अ. उपधारा 111 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति 1 सिकारिज पर, बी.वे.
1 सारणी के स्तंभ 111 में विनिर्दिष्ट संस्था को अनुमोदित करती है और बी.वे.
की सारणी के स्तंभ 121 में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं और स्कीमों
तथा उनकी प्राक्कलित लाभत विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तंभ 131
में ऐसी लाभत की वह अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 कम के अधीन कटौती
के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

संस्था का नाम	परियोजना या योजना	धारा 35 कम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जावे वाली लाभत की अधिकतम रकम
111	121	131
श्री सत्यसाई मेडीकल ट्रस्ट, प्रशांति निलयम् जिला अबनतपुर आंध्र प्रदेश पिन-515134	क। कार्डियोलाजी विभाग का अवसृजन और उसे चलावा ; ख। पूरे अस्पताल की मरम्मत/उसका नवीकरण ;	1527 लाख रुपए तथा अधिसूचना संका. 251131, तारीख 14 जुलाई, 1994 और का. 614 131 तारीख 23 अगस्त, 1994 के अधीन पहले ही अनुमोदित परियोजनाओं और स्कीमों की बाबत प्राप्त किए गए उस सीमा

111

121

131

1 म। काब, बाक, मला संदाब की एकम जिस तक

1 ई एब टी। विभाय संदाब के रूप में संगृहीत रक
का केब दूसरा और

In captioned... पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में
तीसरा और... (1) ...
of the Export... उल्लिखित परियोजनाओं या
the Central... उल्लिखित परियोजनाओं या
... एकीकों के लिए उपयोग में लही
... काई जा चुकी

यह अधिसूचना तीस विचारण वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और

1997-98 की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

Maximum amount of
...
...

1 वी 0 के 0 सहस्रता

उप सचिव, भारत सरकार

स 0 1 2 1 5

फा 0 सं 0 एन 0 सी 0 - 132/94